

पत्र संख्या:-15/जी 1-03/2014 -258
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

प्रेषक,

प्रो० (डॉ०) एस०एम० करीम,
निदेशक (उच्च शिक्षा)

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।
(पटना विश्वविद्यालय, पटना एवं जय प्रकाश विश्वविद्यालय,
छपरा को छोड़कर)

पटना, दिनांक.....०१/२/२०१५

विषय:- विश्वविद्यालय कर्मियों के उपादान की सीमा में दिनांक 01.04.2007 के प्रभाव से वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप अन्तर राशि के भुगतान के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-16 दिनांक-05.01.2015 का कृपया स्मरण करना चाहेगे। अब-तक वांछित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अनुरोध है कि दिनांक-01.04.2007 एवं उसके बाद सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय कर्मियों को अनुमान्य उपादान एवं उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा अबतक भुगतान की राशि की विवरणी कर्मिंवार संलग्न प्रपत्र में शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक:-प्रपत्र की प्रति।

विश्वासभाजन,


(एस०एम०करीम)
निदेशक (उच्च शिक्षा)

प्रपत्र

(7)

विश्वविद्यालय का नाम :-

क्र० सं०	सेवानिवृत्त कर्मी का नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि	विश्वविद्यालय सेवा में प्रदत्त कुल सेवा अवधि	प्राप्त अंतिम वेतन	अनुमान्य उपदान	भुगतान की गई राशि	अवशेष भुगतेय राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									

वित्त पदाधिकारी

कुल सचिव

वित्तीय परामर्शी